सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 245 राँची, मंगलवार, 13 मार्च, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 जनवरी, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-2047, दिनांक 3 मार्च, 2015 एवं पत्रांक-4232, दिनांक 11 मई, 2015
2. उपायुक्त, धनबाद का पत्रांक-1635/गो०, दिनांक 26 सितम्बर, 2015

संख्या- 5/आरोप-1-6/2015 का.-261-- श्री अशोक कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-521/03), तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, आपूर्ति-सह-विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद के विरूद्ध परिवादी श्री अमित कुमार सिंह, सा०- शंकर नगर, बरमसिया, थाना-धनसार, जिला-धनबाद के द्वारा

परिवाद-पत्र, दिनांक 9 जनवरी, 2015 उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध सरकारी योजना को फ्लॉप कराने की साजिश रचने एवं रिश्वत की माँग करने तथा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है ।

उक्त परिवाद-पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक- 2047, दिनांक 3 मार्च, 2015 एवं पत्रांक- 4232, दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । इसके अनुपालन में उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1635/गो०, दिनांक 26 सितम्बर, 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

जाँच प्रतिवेदन में उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गय है कि प्राप्त परिवाद-पत्र के आलोक में उप विकास आयुक्त, धनबाद से जाँच करायी गयी है । उप विकास आयुक्त, धनबाद द्वारा पत्र संख्या-33/सी०, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें मंतव्य दिया गया कि परिवादी द्वारा परिवाद-पत्र में लगाया गया आरोप द्वेष की भावना से लगाया गया है तथा राशि की माँग करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

इस प्रकार उपायुक्त, धनबाद द्वारा मंतव्य दिया गया कि- "जाँच अधिकारी का आरोप के विद्वेषपूर्ण होने एवं रिश्वत की माँग से संबंधित आरोप प्रमाणित नहीं होने संबंधी अभिमत को साक्ष्य के अभाव में असत्य करार देना उचित प्रतीत नहीं होता है" ।

श्री सिंह के विरूद्ध परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप एवं उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री अशोक कुमार सिंह, झा०प्र०से०, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, आपूर्ति-सह-विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद, सम्प्रति-निदेशक, संस्कृति, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 245 -- 50